

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

सावित्री


किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

मोहनलाल वगैरह

मुकदमा नं. 156/2020

बनाम

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
05.05.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 88ए 188 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 23.12.2020 से न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील वादी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये है। परन्तु वकील वादी ने प्रकरण हाजा में आदिनांक तक तामील हेतु सम्मन तक पेश नहीं किये। तथा ना ही साबिका आदेश की पालना में आज दिनांक को सम्मन तलबाना पेश किये है।</p> <p>अतः वादी अधीन धारा 88, 188 आरटीएक्ट 1955 बावजूद हिदायत प्रतिवादीगण की तामील किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p> (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	